न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष सं0–3, बरेली।

जमानत प्रार्थना पत्र सं0–3062/2022

कम्प्यूटर संख्या–3936/2022

CNR NO-UPBR01-010769-2022

मो0 रफीक पुत्र मो0 शफी, निवासी सिरौली कला वार्ड सं0–4, किछा थाना पुलभट्ठा जनपद ऊधमसिंह नगर, उत्तराखंड।

.....अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य ———— अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0–178/2022

धारा–394, 411भा0दं0सं0

थाना शाही, जिला बरेली।

दिनांक :03.11.2022

अभियुक्त **मो0 रफीक** पुत्र मो0 शफी की ओर से यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अपराध संख्या 178 सन् 2022, अन्तर्गत धारा 394, 411 भा0दं0सं0, थाना शाही, जिला बरेली के प्रकरण में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र के समर्थन में आरिफ की ओर से शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्को को सुना गया तथा समस्त प्रपत्रों का अवलोकन किया।

सक्षेंप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी मुकद्मा राजवीर ने इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी कि दिनांक 01.08.2022 को वह ग्रम सिहौर हल्द्वानी से अपने दोस्तो के साथ दो बजे चला, बहेडी में रूका और पांच बजे चले सुकरिया आये। वहॉ से सात बजे चले उसके दोस्ता सहोडा में रूक गये तथा वह अपनी मोटरसाईकिल यू0पी0–25 ए0एम0 7783 पतसर से अपने घर आ रहा था कि सिहौर पुल से पहले उसे रास्ते में तीन व्यक्ति मिले जिन्होंने उसे मोटरसाईकिल रोक ली तथा उसके मारपीट कर उसकी जेब में रखे तीन हजार रूपये ले लिये और आधार कार्ड व मोबाईल छोड गये। थोडी देरे बाद उसके दोस्त सहोड से आ गये उनके साथ भी मारपीट की तथा रामसिंह की जेब से 2900/–रूप्ये और पप्पू की जेब से 2100/–रूपये ले लिए। राम सिंह व पप्पू का मोबाईल उनके पास छोड गये। उसकी रिपोर्ट लिखकर कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

वादी मुकद्मा अमित की तहरीर के आधार पर घटना के सम्बन्ध में दिनांक 02.08.2022 को समय 23.10 बजे तीन अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

आधार जमानत प्रार्थना पत्र में अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क प्रस्तुत करते हुये अभिकथित किया कि वह निर्दोष है और उसे इस मुकद्में में झूठा फंसाया गया है। जबकि मुल्जिम द्वारा कोई ऐसा अपरा कारित नहीं किया गया है। घटना 01.08.2022 को आठ बजे की बतायी गयी है। वादी द्वारा तीन हजार रूपये लूटना बताया गया है। वह दिनांक 14.08.2022 से जिला कारागार बरेली में निरूद्ध है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह अपनी जमानत देने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर अवमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी की ओर से जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। उपरोक्त आधारों पर जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया।

प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत मामलें में प्रथम सूचना रिपोर्ट में घटना का दिनांक 01.08.2022 को रात आठ बजे की बतायी गयी है और प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 02.08.2022 को समय 23.10 बजे अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट 27 घंटे विलम्ब से अंकित करायी गयी है। अभियुक्त को दिनांक 13.08.2022 को मु0अ0सं0–185/22 धारा–3/25 आयुध अधिनियम के मामले में गिरफ्तार किया गया है और उसकी जेब से दो हजार रूपये की बरामदगी दर्शायी गयी। वह दिनांक 14.08.2022 से जिला करागार बरेली में निरूद्ध है। मामला मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों तथा अन्य सुसंगत तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये एवं माननीय सर्वोच्च

न्यायालय द्वारा **संजय चन्द्रा बनाम सी0बी0आई0 ए0आई0 आर0 2012 सुप्रीम कोर्ट 830 एवम् दाताराम सिंह बनाम उत्तर–प्रदेश राज्य 2018 (1021) ए0सी0सी0 920 (एस0सी0)** में प्रतिपादित किये गये विधि सिद्वान्त को दृष्टिगत रखते हुए जमानत प्रार्थना–पत्र में वर्णित आधार उचित एवं पर्याप्त हैं। तद्नुसार जमानत प्रार्थना–पत्र बिना गुणदोष पर कोई टिप्पणी किये सशर्त स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त **मो0 रफीक** द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त अधिकथित अभियुक्त को उपरोक्त अधिकथित अपराध वाद में, उसके द्वारा रु0 **पचास हजार** (**50,000**) के व्यक्तिगत बन्धपत्र के साथ न्यायालय के समाधान में समान धनराशि की दो प्रतिभू निम्न शर्तो के अधीन निष्पादित करने पर विद्वान मजिस्ट्रेट की संतुष्टि पर जमानत पर अवमुक्त किया जाये।

1. अभियुक्त जमानत पर अवमुक्त होने के उपरांत न्यायालय में नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा तथा विचारण में सहयोग करेगा।
2. अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा तथा निष्पादित बंधपत्र की शर्तो के अनुसार संव्यवहार करेगा
3. अभियुक्त जमानत अवधि के दौरान कोई अविधिक क्रियाकलाप तथा उस अपराधके समान, जिसका अभियोग उस पर लगाया गया है अथवा सन्देह किया गया है, कोई अपराध कारित नहीं करेगा।
4. अभियुक्त अभियोजन साक्षियों को प्रभावित करने अथवा डराने धमकाने का प्रयास नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तो का उल्लंघन अभियुक्त द्वारा किये जाने की दशा में अभियोजन पक्ष उनके जमानत निरस्तीकरण हेतु न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर सकता है।

(प्रभारी अधिकारी)
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं0–3
बरेली।

Digitally signed by Abdul Quaiyum
Date: 2022.11.03 14:49:52 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court